यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश को पारित करते समय मिन अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित कोई नोटिस अपीलाण्ट को प्राप्त नही हुआ, जिस कारण अपीलाण्ट उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, तथा अपीलाण्ट को बिना पुनः सुनवाई का अवसर दिये पारित आलोच्य आदेश उक्त कारण से भी अधीनस्थ निरस्त किये जाने योग्य है निरस्त किया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आलोच्य आदेश पारित करते समय इस अहम तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि उक्त भूमि खसरा नंबर 1570 रकबा 2.50 हैक्टेयर पूर्व में सिवायचक चारागाह भूमि थी तथा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के बुजुर्गों के समय से ही मकानात, आदि बनाकर अपीलाण्ट व उसके बुजुर्गान रिहायश करते चले आ रहे थे, तथा उक्त मकानात पर नल व बिजली कनैक्शन भी प्राप्त किया हुआ है, तथा सहायक वन संरक्षक राजगढ द्वारा बाद में उक्त आराजी को यन विभाग की आराजी घोषित कराते हुये उक्त आराजी पर अपीलाण्ट को अतिकृमी मानते हुये अपीलाण्ट के निर्मित मकानात को ध्वस्त करने का आलोच्य आदेश पारित किया है। जिससे अपीलाण्टान को भारी नापूर्ति होने वाली क्षति हो रही है और अपीलाण्ट को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश खारिज किये जाने योग्य है खारिज किया जावे। अपीलाण्ट अपने बुजुर्गों के समय से ही उक्त आराजी पर मकान बनाकर अपने परिवार सहित रिहायश करता चला आ रहा है, तथा पूर्व में उक्त आराजी सिवायचक भूमि थी, तथा पहाडी की तलहटी पर स्थित है. तथा उक्त आराजी गिन अपीलाण्ट की कब्जा काश्तकारी खातेदारी की आराजी से लगती हुई आराजी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित्त सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जिस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आलोच्य आदेश पारित कर बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये, अपीलाण्ट की निर्मित मकानात को ध्वस्त करने के आदेश प्रदान किये हैं। उक्त मकान अपीलाण्ट के परिवार की रिहायश का साधन है, जिसे अपीलाण्ट व उसके बुजुर्गान द्वारा अपनी मेहनत की गाढी कमाई से निर्मित कराया गया है, यदि अपीलाण्ट के मकानात को ध्वस्त कर दिया गया, तो अपीलाण्ट के परिवार की रिहायश विपरीत रूप से प्रभावित होगी, तथा अपीलाण्ट व उसके परिवार को काफी आर्थिक क्षति व मानसिक संताप होगा। जिस कारण रेस्पोडेण्ट को उक्त मकानात को ध्वस्त ना किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। शेष तथ्य वक्त बहस मौखिक अर्ज किये जावेंगे।

अतः अपील अपीलाण्टान प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील हाजा स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप वन संरक्षक अलवर का आदेश दिनांक 20.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की तरफ से प्रतिनिधि उपस्थित। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

रेस्पोडेन्ट दौराने बहस अनुपस्थित। वकील अपीलांट की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील अपीलांट की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अपीलांट के मुख्य कथन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय (सहायक वन संरक्षण राजगढ) द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिए और बिना नोटिस दिए आदेश पारित किया गया है। विवादास्पद भूमि (खसरा नंबर 1570 रकबा 0.0063 है0) पूर्व में 'सिवायचक चारागाह भूमि' थी, अपीलांट के बुजुर्गों के समय से ही यहां रिहायश है। अपीलांट के मकानात पर नल व बिजली कनेक्शन भी प्राप्त है, और इसे ध्वस्त करने से अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। सुनवाई का बिन्दु पर अपीलांट का प्रमुख तर्क यह है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही कोई नोटिस प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, राजगढ़ के पत्रांक 797 दिनांक 19.06.2024 के आधार पर सहायक वन संरक्षक, राजगढ अलवर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 05/2024 दर्ज किया गया। न्यायालय द्वारा अपीलांट (अप्रार्थी) को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 20.09.2024 को प्रातः 10 बजे उपस्थित होने के लिए विधिवत रूप से नोटिस भेजा गया था। अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार, नोटिस विधिवत रूप से तामील होने के उपरान्त भी अपीलांट न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही नोटिस का कोई जवाब पेश किया। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त और विधिवत अवसर प्रदान किया गया था, परन्तु अपीलांट ने स्वयं उस अवसर का लाभ नहीं उठाया। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अपीलांट के कथनानुसार भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

सिवायचक चारागाह' थी और उस पर उनके बुजुर्गों के समय से कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में संयुक्त सर्वे रिपोर्ट, गजट नोटिफिकेशन, और जमाबन्दी सहित अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया है। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट पाया गया है कि अतिक्रमित क्षेत्र वन भूमि में आता है (रक्षित वनखण्ड बीघोता के खसरा नंबर 1570 किस्म गैरमुमकिन राडा) है। अपीलांट के द्वारा संबंधित वन भूमि पर अपने स्वामित्व संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष और न ही इस अपील में। एक बार जब भूमि को विधिवत प्रक्रिया के माध्यम से वन भूमि घोषित कर दिया जाता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण या कब्जा वन अधिनियम और भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमण माना जाता है। पूर्व में भूमि की प्रकृति (सिवायचक) का दावा, वन विभाग की अधिसूचना के बाद अप्रभावी हो जाता है, जब तक कि अपीलांट वैध रूप से इस अधिसूचना को चुनौती देकर कोई भिन्न आदेश प्राप्त न कर ले। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1570 लम्बाई 09 मी० एवं चौड़ाई 07 मी० (कुल 0.0063 है0) पर अतिक्रमण सिद्ध होता है। अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 1570 पर अपने कब्ज़े या स्वामित्व के समर्थन में कोई कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि भूमि वन भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.12.2024, समस्त उपलब्ध साक्ष्यों और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पारित किया गया है, इसमें हस्तक्षेप किया जना उचित प्रतीत नहीं होता है। अत यह अपील अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक राजगढ अलवर के निर्णय दिनांक 20.12.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/05/2025	2025/41	04.03.2025	09.12.2025

1.राजेश कुमार मीणा पुत्र श्री हजारीलाल मीणा, निवासी ग्राम पाला का बास बीघोता, तहसील राजगढ़, जिला अलवर।

—अपीलांट

बनाम

1.सहायक वन संरक्षक राजगढ जिला अलवर।

— रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील विरूद्ध आज्ञा व आदेश श्रीमान सहायक वन संरक्षक राजगढ जिला अलवर दिनांक 09.12.2024 कि जिसके द्वारा आराजी खसरा नंबर 1570 वाके ग्राम बीघोता तहसील राजगढ जिला अलवर में 09 मीटर बाई 07 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0063 हैक्टेयर भूमि पर मिन अपीलाण्ट को अतिकृमी मान कर उस पर निर्मित पक्के मकान को ध्वस्त करने के आदेश पारित किये, बमुराद मंसूखी उक्त आज्ञा आदेश व दिलाये जाने खर्चा मुकदमा व दीगर दादरसी। प्रकरण संख्या 05/2024 शीर्षक मुकदमा क्षेत्रीय वन अधिकारी राजगढ बनाम राजेश कुमार, न्यायालय उप वन संरक्षक अलवर।

उपस्थितः—

01.श्री कृष्ण कुमार मीणा

—वकील अपीलाण्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने सहायक वन संरक्षक राजगढ जिला अलवर दिनांक 20.12.2024 कि जिसके द्वारा आराजी खसरा नंबर 1570 वाके ग्राम बीघोता तहसील राजगढ जिला अलवर में 09 मीटर बाई 07 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0063 हैक्टेयर भूमि पर मिन अपीलाण्ट को अतिक्रमी मान कर उस पर निर्मित पक्के मकान को ध्वस्त करने के आदेश पारित किये, से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपील हाजा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान उप वन संरक्षक अलवर के आज्ञा व आदेश दिनांक 20.12.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की जा रही है, चूंकि न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित निर्णय व आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व में नहीं थी, अपीलाण्ट को निर्णय की जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा उक्त निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को निर्णय की नकल नहीं दी गई। तथा जानकारी तिथि से अपील हाजा साधारणतः अन्दर अवधि प्रस्तुत है, तथा अपील हाजा प्रस्तुत करने में हुई देरी को निर्णय की जानकारी ना होने के कारण मयाद में कण्डोन किया जानां, तथा अपील हाजा काबिल समाअत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है. जिस हेतु प्रार्थनापत्र दफा 05 मयाद अधिनियम अलहदा से प्रस्तुत है। अपील हाजा पर कोर्टफीस व आवाहन शुल्क नियमानुसार चस्पा है। अपील हाजा के निस्तारण हेतु संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर हाल 1570 रकबा 2.50 हैक्टेयर वाके ग्राम बीघोता तहसील राजगढ जिला अलवर राज० में स्थित है। उक्त आराजी से लगती हुई आराजी खसरा नंबर 1511 रकबा 0.10 है0, 1512 रकबा 0.06 है0, 1513 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम बीघोता तहसील राजगढ जिला अलवर राज० में स्थित है। क्षेत्रीय वन अधिकारी राजगढ द्वारा पत्रांक 797 दिनांक 19.06.2024 के जरिये राजकीय वन भूमि रक्षित वनखण्ड बीघोता के खसरा नंबर 1570 पर लम्बाई 09 मीटर एवं चौडाई 07 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0063 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन राडा पर दो पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण करने के संबंधित प्रकरण सहायक वन संरक्षक राजगढ जिला अलवर के समक्ष पेश किया गया, जिस पत्र के आधार पर बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका दिये, तथा बिना मौके का निरीक्षण किये उप वन संरक्षक अलवर द्वारा धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत मिन अपीलाण्ट को उक्त आराजी पर अतिकृमी मानते हुये दिनांक 20.12.2024 को उक्त आलोच्य पारित कर अपीलाण्ट की निर्मित मकानात को ध्वस्त करने का निर्णय पारित किया है जिस आलोच्य आदेश से व्यथित होकर अपील हाजा निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध व खिलाफ गौका होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है निरस्त किया जाये। अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)